123

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /06 वि०

R. 3-II/06

लालचंद पुत्र हुकुम चंद शिवहरे
निवासी- श्योपुर
हॉल निवास-आस्था टॉकीज के पास,
इन्दौर म.प्र.

आवेदक

श्री के. के. द्विवेदी, अभि. द्वारा आज दि० 2.1.06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
2 JAN 2006

वि०

1. विश्म्बरदयाल पुत्र कल्याणचंद वैश्य
निवासी-श्योपुर म०प्र०
2. इंदरीस पुत्र बशारात मुसलमान
निवासी-बालापुर श्योपुरकलां तहसील व
जिला-श्योपुर म.प्र.
3. मोनू उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह राठौर
निवासी- श्योपुर म.प्र.
4. मुन्नीबाई बेवा स्व.श्री भूपसिंह
5. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व.श्री भूपसिंह
6. महेश सिंह पुत्र स्व.श्री भूपसिंह
7. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व.श्री भूपसिंह
8. श्रीमती उमा पुत्री स्व.श्री भूपसिंह
9. श्रीमती बच्ची पुत्री स्व.श्री भूपसिंह
समस्त निवासी- कलारना तहसील व
जिला- श्योपुर म.प्र.

2-1-06
K. K. DWIVEDI
Advocate

Noted by.
8-2-06

अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त चम्बलसंभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक-1.12.05 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण -

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3—दो/2006 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.9.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 89/2004—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 1—12—2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निर्णय किये जाने की मॅशा जाहिर की। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 20/94—95 अपील एंव 33/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 24—2—04 के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 89/2004—05 प्रस्तुत की। अपील में सुनवाई के दौरान अनावेदक भूप सिंह पुत्र लोचन सिंह की मृत्यु हो गई, जिस पर से अपर आयुक्त व्दारा **Order-sheet** दिनांक 15—9—05 पर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु एंव अनावेदक कमांक 1, 3 का सही पता देने के आवेदक को आदेश दिये एंव सुनवाई हेतु आगामी तिथि 1—12—05 नियत की। इस पेशी पर आवेदक व्दारा मृतक के वारिसान को रिकार्ड लेने हेतु मरम्मत सवाल का आवेदन न देने के कारण अपर आयुक्त ने अपील अवेट होने से समाप्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है।	

प्रकरण कमांक 3–दो/2006 निगरानी

4/ अपर आयुक्त के प्रकरण में संलग्न मृतक अनावेदक भूप सिंह को जारी सूचना पत्र दिनांक 19–8–15 के अवलोकन से ज्ञात होता है इस तिथी के पूर्व ही भूपसिंह फोत हो चुका है और आवेदक ने अपर आयुक्त व्दारा पूर्व पेशी 15–9–05 को अवगत कराने के वाद भी मरम्मत सवाल का आवेदन दी गई समयावधि में प्रस्तुत न करने के कारण प्रकरण अवेट होने से समाप्त किया है क्योंकि मृतक पक्षकार के विरूद्व न तो प्रकरण आगे चलाया जा सकता है ।

5/ उपरोक्त कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 89/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 1–12–2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य